



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 26 राँची, बुधवार 18 अग्रहायण 1942 (श०)
9 दिसम्बर, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 214-222
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9—विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग****अधिसूचना****01 दिसम्बर, 2020**

संख्या-02/नि.स्था. -31/2020 -3716/रा.-- श्री सुजीत कुमार, अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र संख्या-03, काँके प्रक्षेत्र, राँची को दिनांक-01.08.2020 से 01.11.2020 तक कुल 93 (तेरानवे) दिनों का झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 248 के आलोक में स्वयं के चिकित्सा हेतु उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2020

संख्या-4/नि0 स0-12-28/2017-11281 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री हुलास महतो (पंचम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	HULASH MAHTO- (110047710619)	DC OFFICE GARHWA	<u>RAMNA BLOCK</u> <u>,GARHWA</u> Block Development Officer	15/06/2016	02/07/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

परिवहन विभाग

संकल्प

07 दिसम्बर, 2020

संख्या :- परि०आ०-6344/2011-1352 --श्री रघुनन्दन ठाकुर, चलंत दस्ता सिपाही, गढ़वा (मुरीसेमर चेकपोस्ट) की प्रतिनियुक्ति कार्यालय आदेश सं०-64 सहपठित जापांक-499, दिनांक-30.05.2016 के माध्यम से समाप्त करते हुए परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान देने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के अनुपालन में श्री ठाकुर के द्वारा अबतक (प्रस्तुत संकल्प निर्गत होने की तिथि) विनिर्दिष्ट पदस्थापन कार्यालय यथा परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान नहीं दिया गया है।

2. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री रघुनन्दन ठाकुर, चलंत दस्ता सिपाही के विरुद्ध सरकारी आदेश/निदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों को आरोप पत्र प्रपत्र-क में गठित करते हुए सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के भाग-VI, नियम-17 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार श्री रघुनन्दन ठाकुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री निरंजन कुमार, उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को संचालन पदाधिकारी तथा श्री प्रभाकर आनन्द, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री ठाकुर से एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपना लिखित बचाव बयान संचालन पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से समर्पित कर दें तथा यह बतायें कि उक्त आरोपों के प्रमाणित होने पर उन्हें उचित दण्ड क्यों नहीं दिया जाय। साथ ही उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वे :-

(क) यह बतायें कि क्या वे साक्षात् सुनवाई करना चाहते हैं?

(ख) ऐसे अभिलेखों की, यदि हो तो, सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वे अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

(ग) उन साक्ष्यों के यदि हों, तो नाम एवं पता दें जिन्हें वे अपने बचाव में बुलाना चाहते हैं।

(घ) श्री ठाकुर को सूचित किया जाता है कि जाँच संलग्न आरोपों या अभिलेखों के संबंध में की जायेगी। अतः उन्हें आरोपों के विवरण में दिये गये हरेक अधिनियम या आरोप को विनिर्दिष्ट पूर्वक या तो स्वीकार करना है या अस्वीकार।

(ड.) श्री ठाकुर को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद निर्धारित समय तक या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा तो जाँच एकपक्षीय कर ली जायेगी।

5. प्रस्ताव एवं संकल्प पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन/आदेश प्राप्त है।

रवि शंकर विद्यार्थी,
संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2020 ई०।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3646-- श्री के. विजय शंकर, भा.पु.से. (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान), राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3647-- श्री मुकेश कुमार लुनायत, भा.पु.से. (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान), गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3648-- श्री मनोज स्वर्गियारी, भा.पु.से. (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान), जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3649-- श्री विकास चन्द्र श्रीवास्तव, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नगर उँटारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3650-- श्री अनुदीप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, नगर, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.-06, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-12/पी0-8003/2019- 3651-- श्री अशोक कुमार सिंह, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**06 अक्टूबर, 2020 ई०।**

संख्या-12/पी₅-1002/2020- 3800 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-12/पी₅-1002/2020- 3127, दिनांक-28.08.2020 द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु अनुशंसित श्री धनंजय कुमार राम, पिता-श्री देवनंदन राम, ग्राम-अचलजामु, पोस्ट-अचलजामु, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, पिन कोड-825322, झारखण्ड को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पुलिस अकादमी), हजारीबाग में दिनांक-15.09.2020 के पूर्वा० में योगदान देने का आदेश दिया गया था। परन्तु श्री राम अपने पूर्व सेवा से विलम्ब से विरमित होने के कारण निर्धारित तिथि को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पुलिस अकादमी), हजारीबाग में योगदान देने में असमर्थ थे। वर्तमान में इनके द्वारा सूचित किया गया है कि वे पूर्व सेवा से दिनांक-28.09.2020 को विरमित हो चुके हैं एवं इनके द्वारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पुलिस अकादमी), हजारीबाग में योगदान करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री धनंजय कुमार राम (अनुक्रमांक-68079227) को उक्त वर्णित परिस्थिति में विलम्ब से योगदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री राम को निदेशित किया जाता है कि पूर्व के नियुक्ति पत्र के आलोक में इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से 02 (दो) दिनों के अंदर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पुलिस अकादमी), हजारीबाग में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अक्टूबर, 2020 ई०।

संख्या- 13/पी₂-103/2019- 4098/ सी०,-- श्री अजय कुमार सिंह, भा0पु0से0 (1989), अपर पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को पुलिस महानिदेशक (वेतनमान:-पे-मैट्रिक्स का लेवल-16) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिंह, भा.पु.से. (1989) के द्वारा महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-9 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के पद को पुलिस महानिदेशक कोटि में महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के रूप में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह, भा.पु.से. को अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची का प्रभार दिया जाता है। यह व्यवस्था श्री सिंह के उक्त पद पर बने रहने तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2020 ई०।

संख्या- 13/पी०-103/2019- 4133/ सी०,-- श्री सत्य नारायण प्रधान, भा०पु०से० (1988), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक (वेतनमान- पे मैट्रिक्स का लेवल-16) की कोटि में इनसे कनीय श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (1989) को विभागीय अधिसूचना सं०-4098, दिनांक-22.10.2020 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-22.10.2020 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या- 13/पी०-103/2019- 4144/ सी०,-- श्री अजय भटनागर, भा०पु०से० (1989), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक (वेतनमान- पे मैट्रिक्स का लेवल-16) की कोटि में इनसे कनीय श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (1989) को विभागीय अधिसूचना सं०-4098, दिनांक-22.10.2020 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-22.10.2020 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT

ORDER

05th November, 2020.

No.-10/CBI-408/2020-4278 In exercise of the powers conferred by section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act. 1946 (25 of 1946) the Government of Jharkhand hereby withdraws the consent accorded to the members of Delhi Special Police Establishment vide Govt. Order Memo No. 3/Vividh-6019/96 Dated 19.02.1996 as also by any other instruments issued by the Government of Jharkhand, from time to time, to exercise the powers and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand.

By the order of Governor of Jharkhand

Anil Kumar Singh,

Joint Secretary to Government.
